


5-मविष्य निर्वाह निधि

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	नई पेंशन अंशदान योजना में ब्याज दर।	सं0:-135/xxvii(7)07(1)/2012 दिनांक: 13 जून, 2012	39-40

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ10-सा10नि0)अनु0-7
संख्या: 135/XXVII(7)07(1)/2012
देहरादून, दिनांक: 13 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप


सामान्य भविष्य निधि (उत्तराखण्ड), नियमावली 2006 के नियम 11(1) अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश), नियमावली के नियम 11(1) तथा अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली 1984 के नियम-9 जो उत्तराखण्ड में भी लागू है, एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 01-10-2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड, अंशदायी भविष्य पेंशन बीमा निधि एवं नई अंशदान पेंशन योजना में अभिदाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01-04-2011 से 30-11-2011 तक की अवधि के लिए 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) तथा दिनांक 01-12-2011 से 8.6 (आठ दशमलब छः प्रतिशत) प्रतिशत होगी। उक्त दरें पहली अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।


(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।

संख्या : 135 (1)/XXVII(7)7(1)/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, देहरादून, रुडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति की 500 (पाँच सौ) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।